142/143

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 15/2015–16

कमल मरीक ..... आवेदक

बनाम

गोकुली मरीक ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

13/05/2016 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 15/2015–16 कमल मरीक बनाम् गोकुली मरीक, मौजा ठाड़ी खरवा, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के रे0मि0 वाद सं0 265/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा भू–दान कमिटि द्वारा प्राप्त बन्दोबस्ती के आधार पर मौजा ठाड़ी खरवा के दाग सं0 341 रकवा 01–03–08 धूर जमींन का लगान धार्य हेतु अंचल कार्यालय में आवेदन दाखिल किया गया। इस पर अंचल अधिकारी द्वारा हल्का कर्मचारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर लगान धार्य की स्वीकृति हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख को अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा गया। अभिलेख के प्राप्ति के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मौजा के 16/–रैयत को नोटिस निर्गत किया गया। इस पर लगान धार्य के अनुशंसा के विरूद्ध विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय में आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया। आपत्ति आवेदन में विपक्षी द्वारा कहा गया है कि उक्त दाग सं0 341 उन्हें खतियानी रैयत सुमेश्वर राय एवं मैनेजर राय से कुरफानामा पट्टा 1935 के आधार पर प्राप्त है। जिसे बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा पर्चा भी निर्गत किया जा चुका है। इसी आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा आवेदक का आवेदन खारीज किया है। इस आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है।

अभिलेख में दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को प्रश्नगत जमींन भू–दान यज्ञ कमिटि द्वारा दिनांक 12.04.1968 को बन्दोबस्ती मिली है। किन्तु इनके द्वारा इसकी सम्पुष्टि सक्षम पदाधिकारी द्वारा नहीं करवाया गया है। विपक्षी द्वारा लिखित बहस के साथ दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी को कुरफानामा के आधार पर मिली बन्दोबस्ती जमींन को प्रभारी पदाधिकारी नं0 ।।, दुमका के आर0ई0 अपील नं0 208/88 में पारित आदेश दिनांक 19.04.1990 के आधार पर मान्यता दी गई है एवं इसी आधार पर वर्त्तमान सर्वे में उनका नाम खाता में दर्ज हुआ है।

इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन पर विपक्षी का दखल–कब्जा कुरफा बन्दोबस्ती के

आधार पर वर्ष 1935 से है। इसकी मान्यता प्रभारी पदाधिकारी–II, दुमका के आर0ई0 अपील वाद सं0 208/88 आदेश दिनांक 19.04.1990 द्वारा दी गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक के दावों को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।